UPAN010012432017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अम्बेडकर नगर
पीठासीनः भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता (H.J.S)
JO Code: UP 1874
CNR:UPAN010012432017
विशेष सत्र परीक्षण संख्या :—29/2017

सरकार———————————————————————————————अभियोजन

बनाम

1— सुरेन्द्र दूबे आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद दूबे, निवासी ग्राम नन्देश्वर पोस्ट मित्तुपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

2— फूलचन्द्र दूबे आयु लगभग 73 वर्ष पुत्र स्व0 रामनयन दूबे निवासी ग्राम नन्देश्वर पोस्ट मित्तुपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 08/1993
धारा—323,354 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना जलालपुर, अम्बेडकर नगर

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण संख्या—29/2017 अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द्र दूबे के विरूद्ध, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/1993, धारा 323 व 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत प्रेषित आरोप पत्र पर उक्त प्रकरण का विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी शकुन्तला देवी पुत्री रामवली हरिजन ग्राम नन्देश्वर थाना पवई जिला आजमगढ़ की निवासी है। मैं प्रगतिशील आदर्श विद्या मंदिर पेठिया फैजाबाद में कक्षा 9 में पढ़ती हूं। तारीख 04.01.1993 को मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की रेखा संध्या ग्राम परकौली मेरे घर आयी थी। जब वे मेरे घर से वापस अपने घर जाने लगी तो मैं उन्हें पहुंचाने के लिये गांव से पश्चिम अपने गेहूं के खेत तक गयी, मैं अपने गेहूं के खेत के पास चकरोड पर खड़ी थी कि करीब तीन बजे दिन गांव के सुरेन्द्र दूबे पुत्र भगौती प्रसाद दूबे व फूलचन्द दूबे प्रधान पुत्र रामनयन दूबे, सुरेन्द्र के गन्ना के खेत के दक्षिण पश्चिम के कोने से निकलकर मेरे पास आये। फूलचन्द मेरा हाथ पकड़ लिये। सुरेन्द्र थप्पड़ों से मारने लगे, मैंने इन लोगों से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो सुरेन्द्र ने कहा कि तुम लोग रोजाना हमारी गन्ना तोड़ती हो। इस पर वे लोग मुझको बेइज्जत करने के लिये हाथ पकड़कर गन्ना की खेत की तरफ ले जाने लगे, तब मैं चिल्लायी। मेरे चिल्लाने पर गांव से कैलाशी पत्नी हरिलाल व मुरली पुत्र मुनेसर व सुरसती पत्नी रामकृपाल व मेरी मां कौशल्या तथा फूलपत्ती पत्नी जोरई दौड़े, तब फूलचन्द व सुरेन्द्र मुझे छोड़कर अपने घर को

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.04.10 10:18:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गांव दक्षिण तरफ चले गये। घटना को उपरोक्त लोगों ने देखा है। मैं उसी दिन अपने गांव के जोरई व हरिलाल के साथ रात में थाना पवई रिपोर्ट लिखाने गई थी। बाद में उन्हीं लोगों के साथ आजमगढ़ कप्तान साहब के पास गयी थी। कल थाना पवई के दरोगा जी गांव में जांच करने के लिये आये थे उन्होंने बताया कि घटना स्थल थाना जलालपुर का है। थाना जलालपुर जाकर रिपोर्ट लिखाओ। आज जानकारी होने पर घटना स्थल थाना जलालपुर का है, रिपोर्ट लिखाने आयी हूं। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाए। जानकारी न होने के कारण रिपोर्ट में देरी हुई है।

3. वादिनी उपरोक्त की लिखित तहरीर की आधार पर संबंधित थाना जलालपुर पर मु0अ0सं0 08/1993 अन्तर्गत धारा 323 व 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस. टी. ऐक्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–323 व 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस. सी.एस.टी. ऐक्ट विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण धारा–3(1)X एस.सी.एस.टी. ऐक्ट में पंजीकृत होने के कारण दिनांक 27.04.2017 को उक्त वाद की पत्रावली को सत्र सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 25.07. 2017 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, अम्बेडकर नगर द्वारा धारा–323 व 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप सृजित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 वादिनी मुकदमा शकुन्तला, पी.डब्लू. 2 फूलमती, पी.डब्लू. 3 कैलाशी, पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

7. अभियोजन की ओर से पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं तथा उन्हें साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है।

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभियेाजन प्रपत्र	प्रमाणित अभियोजन साक्षी
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी.डब्लू. 1 वादिनी मुकदमा
2.	प्रदर्श क–2	चिक	पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद
3.	प्रदर्श क–3	कायमी जी0डी0	पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद
4.	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद
5.	प्रदर्श–क–5	आरोप पत्र	पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद

8. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें

उसने लगाए गए आरोप से इन्कार किया है तथा चुनावी रंजिश के कारण मुकदमें में फंसाये जाने का कथन किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से डी0डब्लू0 1 माता प्रसाद, डी0डब्लू0 2 केशरी सिंह व पी0डब्लू0 3 जमुना प्रसाद को परीक्षित कराया गया है।

10. विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सविस्तार सुने गए। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी फौजदारी ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोग कथानक पूर्णतः साबित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किये गए आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

12. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। गांव की चुनावी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है, दोषमुक्त किया जाये।

13. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता का मुख्यपरीक्षा साक्ष्य पीचडब्लू0 1 के रूप में अंकित किया गया है किन्तु उक्त साक्षी की मृत्यु के कारण इस साक्षी से जिरह नहीं हो पायी है। ऐसी दशा में अभियोजन द्वारा जिन तथ्य के साक्षीगण व पुलिस के साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है उनके बयान का गहन विवेचना किया जाना है और यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अथवा नहीं है?

<u>मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा साक्ष्य एवं निष्कर्ष</u>

14. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू. 1 वादिनी मुकदमा शकुन्तला देवी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा कथन किया है कि मैं जाति की चमार हूं। मुल्जिमान जाति के ब्राह्म्ण हैं, जो मेरे गांव के हैं। मुल्जिमान मुझे जानते हैं। मैं प्रगतिशील आदर्श विद्या मंदिर पीडिया फैजाबाद में कक्षा 9 में पढ़ती थी। घटना दिनांक 04.01.1993 की है। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की रेखा यादव ग्राम परकौली मेरे घर पर आयी थी। जब मेरे घर से अपने घर जाने लगी तो मैं रेखा को पहुंचाने के लिये गांव से पश्चिम अपने गेहूं के खेत तक गई थी। जब मैं चकरोड़ पर खड़ी थी। उस समय लगभग तीन बजे दिन में सुरेन्द्र दूबे, फूलचन्द दूबे गन्ना के खेत से निकलकर मेरे पास आये और मूलचंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुरेन्द्र दूबे थप्पड़ से मारने लगे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सुरेन्द्र ने कहा कि तुम लोग मेरा गन्ना तोड़ती हो। दोनों मुल्जिमान मुझको बेइज्जत करने के लिये गन्ना की खेत की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाई तो गांव के कैलाशी, मुरली, सुरसती, मेरी मां कौशल्या, फूलपत्ती ये सभी

लोग दौड़े। उसके बाद मुल्जिमान छोड़कर गांव की तरफ चले गये। मैं और गांव के जोरई, हीरालाल रिपोर्ट लिखवाने थाना पवई पर गयी थी एवं आजमगढ़ कप्तान साहब के पास गयी थी। पवई थाने के दरोगा आये थे। जांच किये और कहा कि यह घटना थाना जलालपुर की है। तब मैं थाना जलालपुर में आयी और अपनी रिपोर्ट लिखवायी। इन सभी तथ्यों की जानकारी न होने के नाते रिपोर्ट देर से लिखी गई। मेरी रिपोर्ट मेरे बोलने पर कुमारी इन्द्रकला ने लिखी थी। मैं पढ़ने के बाद अपना हस्ताक्षर बनायी थी। मूल तहरीर कागज संख्या 4अ/2 पर गवाहान ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी बयान लिये थे और घटना स्थल भी देखे थे। जाहिरा चोट नहीं थी, इसलिये डॉक्टरी नहीं करायी थी।

15. प्रकरण में वादिनी मुकदमा/पीड़ित साक्षी से जिरह नहीं की गई है, क्योंकि दौरान विचारण इस साक्षी की मृत्यु हो गई है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी की मृत्यु होने के कारण इस साक्षी से जिरह संभव नहीं हो पायी। यह उल्लेखनीय है कि यदि इस साक्षी से बचाव पक्ष से जिरह की जाती तब इस साक्षी का साक्ष्य पूर्ण माना जाता, किन्तु जैसा कि इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दोनों मुल्जिमान मुझको बेइज्जत करने के लिये गन्ना की खेत की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाई तो गांव के कैलाशी, मुरली, सुरसती, मेरी मां कौशल्या, फूलपत्ती ये सभी लोग दौड़े। उसके बाद मुल्जिमान छोड़कर गांव की तरफ चले गये। इस प्रकार मौके पर पहुंचे साक्षीगण का साक्ष्य भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0 2 फूलमती व पी0डब्लू0 कैलाशी को परीक्षित कराया गया है तथा अन्य पुलिस के साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। ऐसी दशा में इन अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य इस मामले को साबित करने हेतु प्रासंगिक हो जाता है, जिनके साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन एवं विष्लेषण किया जा रहा है तथा न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अथवा नहीं है?

16. अभियोजन तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 2 फूलमती को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि मुझे घटना का दिनांक व समय याद नहीं हैं। **मैंने शकुन्तला देवी को अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द दूबे को गन्ने के खेत में खींचकर ले जाते नहीं देखा था, न ही उनको शकुन्तला देवी को पकड़ते देखा था। सुरेन्द्र व फूलचन्द दूबे ने मेरे सामने मारा पीटा नहीं था और न ही शकुन्तला देवी के साथ छेड़खानी ही किया था। मैंने घटना नहीं देखी थी।** सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसके बल नहीं मिलता है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये है तथा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने घटना नहीं देखी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई है, किन्तु अभियोजन पक्ष की जिरह से भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक के समर्थन में कुछ तथ्य सामने आते। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है उसका समर्थन नहीं होता है।

17. अभियोजन तथ्य की साक्षी पी.डब्लू. 3 कैलाशी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। निशानी अंगूठा लगाती हूं। मैं चमार जाति की हूं। **घटना का दिनांक व समय याद नहीं है। घटना हुय कितने साल हो गये मैं नहीं बता सकती। शकुन्तला देवी मेरे गांव की थी। मैं उसे जानती थी। लेकिन मैंने अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द दूबे को वादी मुकदमा शकुन्तला देवी के साथ खेत में छेड़खानी करते नहीं देखा था और न ही उन्हें मेरे सामने दौड़ा कर लाठी डण्डा व घूसा से मारा था। गन्ना तोड़ने को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। सी0ओ0 साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"** अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है उसका समर्थन नहीं होता है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये है तथा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द दूबे को वादी मुकदमा शकुन्तला देवी के साथ खेत में छेड़खानी करते नहीं देखा था, और न ही उन्हें मेरे सामने दौड़ा कर लाठी डण्डा व घूसा से मारा था। गन्ना तोड़ने को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई है। किन्तु अभियोजन की जिरह से भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक के समर्थन में कुछ तथ्य सामने आते। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है उसका समर्थन नहीं होता है।

18. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू. 4 होमगार्ड शिव प्रसाद को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया गया है कि उक्त मुकदमे के हे०का० दुर्गा बक्श सिंह व उपनिरीक्षक दीनानाथ सिंह थाना को० जलालपुर में दिनाँक–10.01.1993 को कार्यरत थे। मैं भी थाना को० जलालपुर में दिनाँक–10.01.1993 को उपरोक्त लोगों के साथ थाना को० जलालपुर में कार्यरत था। मैं हे०का० दुर्गा बक्श सिंह व उपनिरीक्षक दीनानाथ सिंह को लिखते पढ़ते देखा है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4अ/1 मूल चिक एफ.आई.आर. को साक्षी ने देख कर बताया कि यह मूल चिक एफ.आई.आर. हे०का० दुर्गा बक्श सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–7अ/2 कायमी जी.डी. है जो रपट नम्बर 33 है, जो समय 19.00 बजे दिनांक–10.01.1993 अंकित है। जो हे०का० दुर्गा बक्श सिंह के हस्तलेख में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया ।उक्त मुकदमे की विवेचना एस.आई. दीनानाथ सिंह द्वारा किया गया है। जिनके द्वारा पर्रा नम्बर–1 से पर्चा नम्बर–4 तक किता किया गया है, सभी पर्चो पर एस.आई. दीनानाथ सिंह के हस्ताक्षर बने है। जिनमें उनके द्वारा गवाहो का व अभियुक्त का बयान लिया गया है और सी.डी. में अंकित किया

गया है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5अ नक्शा नजरी है, जिस पर एस.आई. दीनानाथ सिंह के हस्ताक्षर बने है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3अ आरोप पत्र है जिस पर एस.आई. दीनानाथ सिंह के हस्ताक्षर बने है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया ।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं वर्तमान में थाना को० जलालपुर में तैनात हूँ। मैं वर्ष 1990 से थाना को० जलालपुर में तैनात हूँ। मैं **मुकदमे की विवेचना में नही जाता हूँ। किसी मुकदमे की विवचेना में क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है मुझे जानकारी नही है। इस मुकदमें क्या लिखा गया है क्या नही लिखा गया हैं मै नही जानता हूँ। मैं इस मुकदमे की विवेचना में घटना स्थल पर नही गया था। मुझे इस बात कि जानकारी नही है कि हे०का० दुर्गा बक्श व एस.आई. दीनानाथ सिंह इस समय कहा है । मैं घटना के बारे में कुछ नही जानता हूँ।** मैं आज न्यायालय के सम्मन पर बयान देने आया हूँ। इस प्रकार यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है जिसने न तो प्रकरण की विवेचना की गई और न ही इसे घटना के बारे में कोई जानकारी है।

19. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचना एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रकरण की वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन तो किया है किन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उससे जिरह नहीं की जा सकी है। अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 2 फूलमती व पी0डब्लू0 3 कैलाशी को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये गये हैं। प्रकरण में ये दोनों साक्षी महत्वपूर्ण साक्षी थे, क्योंकि वादिनी मुकदमा ने अपनी तहरीर में इन दोनों साक्षीगण को घटना देखना कहा था और ये साक्षीगण बीच करने आये थे, कथन किया गया, किन्तु उक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है तथा इन्होंने घटना अपने सामने होने से पूरी तौर पर इन्कार किया है तथा अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 संहिता से भी इन्कार किया है।

20. बचाव पक्ष द्वारा बचाव पक्ष की ओर से डी0डब्लू0 1 माता प्रसाद, डी0डब्लू0 2 केशरी सिंह व पी0डब्लू0 3 जमुना प्रसाद को परीक्षित कराया गया है। उक्त बचाव साक्षीगण द्वारा कथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर ऐसी किसी प्रकार की घटना होने से इन्कार किया गया है तथा वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को झूठा व असत्य होना बताया है। अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के साक्षीगण से जिरह की गई है कि उक्त साक्षीगण की जिरह में भी ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्भूत नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता या वादिनी मुकदमा के कथनों की पुष्टि होती। मामले में न तो विवेचक को परीक्षित कराया गया है और न ही चिक व एफ.आइ.आर. किता करने वाले साक्षी को परीक्षित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन, अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया **असफल** रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं।

21. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया **असफल** रहा है। अतः अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द्र दूबे धारा–323 व 354 भा.द.सं व धारा–3(1)X एस.सी./एस.टी. ऐक्ट के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सुरेन्द्र दूबे व फूलचन्द्र दूबे को अंतर्गत धारा–323, व 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मु0 20,000–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) के दो प्रतिभू सहित, जमानत बन्धपत्र निष्पादित करें।

दिनांकः 10.04.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी.1874

आज, निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 10.04.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी.1874